No.D-31014/1/2012-Genl. Government of India Ministry of Minority Affairs

> 11th Floor, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi Dated: 5 Mays 2015

То

As per list attached

Subject:- Award of annual contract for flowers arrangement in the premises / corridors etc. of Ministry of Minority Affairs, 11th floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.

Sir,

The Ministry of Minority Affairs invites tenders for annual contract for flowers arrangement in its premises situated at 11th floor, Paryavaran Bhawan, CGO complex, Lodhi Road, New Delhi and also at the residential office of Minister and MOS.

2. Sealed quotations duly superscribed "Quotation for flowers arrangement" and addressed to the undersigned should be sent to this Ministry so as to reach by 3.00 P.M. on 2.4.2015. The quotations will be opened on the same day at 4.00 P.M. in the room of the undersigned in the presence of the representatives of the Firm/Nursery who may like to be presented at that time. The Competent Authority reserves the rights to cancel any or all the quotations without assigning any reason.

3. Interested Firm/Nursery may send their rate for the flower as mentioned in Annexure-I. The terms and conditions of the contract is given at Annexure-II.

Yours faithfully,

6.15 Singh

1/4

Under secretary to the Govt. of India

Annexure-I

| S. No. | Name of the Flower | Rate per Stick |
|--------|-------------------------|----------------|
| 1. | Rose | |
| 2. | Lily | |
| 3. | Carnation | |
| 4. | Gladiola | |
| 5. | Rajni Gandha, Tube Rose | |
| 6. | Anthurium | |
| 7. | Orchid | |
| 8. | Oriental | |
| 9. | Jarbara | |
| 10. | Guldwari | |
| 11. | B.O.P. | |

1. Rates for supply of loose cut flower:

Rate of any flower desired to be quoted.

2. <u>Rate for making flower arrangement consisting of rose and other</u> seasonal flowers in three categories of slandered size:

| S.No. | Categories | Rate per Unit |
|-------|---|---------------|
| 1. | Big size (containg 16 P of lili or 40-50 P of rose / gladiola / gerbera etc.) | |
| 2. | Medium size (containg 28-40 P of roses / carnation / gerbera etc.) | |
| 3. | Small size (containing 12-16 P of rose / galdiola / gerbera etc.) | |

3. <u>Rate for supply of boquet of flower of standard sizes in three</u> categories:

| S.No. | Categories | Rate per Unit |
|-------|------------|---------------|
| 1. | Big Size | |
| 2. | Medium | |
| 3. | Small Size | |

-1.

F.No. D-31014/1/2012-Genl Ministry of Minority Affairs

The terms and conditions for annual contract (as mentioned in tender notice also) will be as under:-

- (i) The flowers should be of good quality and fresh. The flowers arrangements are to be made on alternate i.e. three days in week on Monday, Wednesday and Friday. If any of these days happens to be holiday, the arrangement will be made on next working day.
- (ii) There may be requirement of flower arrangement for meetings on working / non-working days and the same may have to be carried out, for which instructions would be given well in advance.
- (iii) The tender is not transferable. The firm shall not assign or sublet the work or any part of it to any other person or party.
- (iv) No payment shall be made in advance nor shall any loan from any bank or financial institution be recommended on the basis of the award of work.
- The contractor shall submit the bill at each stage / in the first week of following month in respect of previous month (in case of monthly payment) for sanction of the amount of bill and passing the bill for payment. It is obligatory on the part of successful tender to furnish the detail of taxes, if any. All payments shall be made be cheque only. Ministry of Minority Affairs shall be at liberty to withhold any of the payment in full or in part subject to recovery of penalties mentioned in successding para.
- (v) The contract shall initially be for a period of one year from the date of acceptance of the order. The contract may be renewed for further period of one year with same terms & conditions, if the Department is satisfied, upto a maximum of two years.
- (vi) The firm shall provide all names and addresses of the persons engaged by it and certify the character and antecedent of the individual employee by them for the work. The Ministry will issue them suitable identity cards, which shall be produce on demand by any of concerned officers. The firm and its employees will be subject to normal regulations relating to the security of the premises from time to time. It is clarified that persons engaged by the firm to discharge its obligations under the contract salary firm employees for own

purposes and the Ministry shall not be held liable in any manner in respect of these persons. The firm shall be responsible for implementation of the provisions of all statutory requirements in license under the Control Labour (Regulation) Act, 1970 or any other law in force and shall comply with all requirements and the Rules framed there under.

- (vii) **Penalty**:- If the firm fails to attend to the request of the Ministry within the stipulated time / hours, the penalty shall be levied @2% of total bill amount of that month. Apart from the penalty levied as stated above, this will also entail termination of the contract.
- (viii) **Breach of Terms and Conditions**:- In case of breach of any terms and conditions mentioned above, the Competent Authority will have the right to cancel the work order without assigning any reason thereof.
- (ix) <u>Arbitration</u>:- In case of any dispute arising between the contract holders or any constituent being party to the contact, the sole authority for settlement of such disputes wil rest with the arbitrator appointed by the Secretary, Ministry of Minority Affairs.
- (x) **Jurisdiction**:- Failing arbitration in solving the disputes, the court at Delhi alone, shall have the jurisdiction for a ll aggrieved parties i.e. the Department, the company or any constituent being party to the contract directly or indirectly.

(For & behalf of M/s

)

(K.D. Singh) Under Secretary to the Govt. of India For & behalf of the President of India

. 1

5.6.15

सं. डी–31014 / 1 / 2012–सामान्य भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, 11वां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली–110003 दिनांकः 5 जून, 2015

सेवा में,

5 199

संलग्न सूची के अनुसार

विषय : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली के परिसर / कॉरिडोर आदि में फूल व्यवस्था के लिए वार्षिक ठेका प्रदान करना।

महोदय,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित अपने परिसर और मंत्री तथा राज्य मंत्री के आवासीय कार्यालय में भी फूलों की व्यवस्था करने के लिए वार्षिक ठेका हेतू निविदा आमंत्रित करता है।

2. मुहरबंद लिफाफे में अपनी कोटेशन अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करके इस मंत्रालय को भिजवा दें ताकि 24.06.2015 को 3.00 बजे अपराहन तक पहुंच जाएं। लिफाफे पर विधिवत रूप से "फूलों की व्यवस्था के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए। कोटेशन उसी दिन 4.00 बजे अपराहन अधोहस्ताक्षरी के कमरे में उन फर्मों/नर्सरियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उस समय उपस्थित रहना चाहते हों। सक्षम प्राधिकारी को कोई या सभी कोटेशन बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार है।

3. जो फर्म/नर्सरी इसमें रूचि रखती हों, अनुलग्नक–I में उल्लिखित फूलों के लिए अपनी दरें भेज सकती हैं। ठेके की निबंधन एवं शर्ते अनुलग्नक–II में दी गई हैं।

भवदीय,

(के0 डी0 सिंह) अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक—I

खुले कटे फूलों की आपूर्ति की दरें:

| क्र0सं0 | फूल का नाम | दर प्रति स्टिक | |
|---------|-----------------------|----------------|--|
| 1. | गुलाब | | |
| 2. | लिली | | |
| 3. | कार्नेशन | | |
| 4. | ग्लेडियोला | | |
| 5. | रजनी गंधा, ट्यूब रोज़ | | |
| 6. | एंथूरियम आर्किड | | |
| 7. | आर्किड | | |
| 8. | ओरिएंटल | | |
| 9. | जरबारा | | |
| 10. | गुल्दवारी | | |
| 11. | बी.ओ.पी. | | |

किसी फूल की दर जिसे उल्लेख करना चाहते हों

2. गुलाब और अन्य मौसमी फूलों को मिलाकर स्लेंडर आकार की तीन श्रेणियों में फूलों की व्यवस्था करने की दरें :

| क्र0सं0 | श्रेणी | प्रति यूनिट दर |
|---------|---|----------------|
| 1. | बड़ा साइज (लिली के 16 पी या गुलाब⁄ग्लेडियोला∕गेरबेरा आदि के 40—50 पी को मिलाकर) | |
| 2. | मध्यम साइज (गुलाब/कार्नेशन/गेरबेरा आदि के 28–40 पी को मिलाकर) | |
| 3. | छोटा साइज (गुलाब/ग्लेडियोला/गेरबेरा आदि के 12–16 पी को मिलाकर) | |

मानक आकार के तीन श्रेणियों के फूलों के गुलदस्ते की आपूर्ति के लिए दरें:

| क्र0सं0 | श्रेणी | प्रति यूनिट दर |
|---------|------------|----------------|
| 1. | बड़ा साइज | |
| 2. | मध्यम साइज | |
| 3. | छोटा साइज | |

<u>फा.सं. डी–31014 / 1 / 2012–सामान्य</u> अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वार्षिक ठेके के लिए निबंधन एवं शर्तें (जैसा कि निविदा सूचना में भी उल्लेख है) निम्नलिखित अनुसार होंगी:--

- i). फूल अच्छी गुणवत्ता के और ताजे होने चाहिएं। फूल व्यवस्था एक दिन छोड़कर अर्थात् सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को की जाएगी। अगर इन दिनों में से किसी दिन छुट्टी होती है, तो फूल व्यवस्था अगले कार्य दिवस को की जाएगी।
- ii). कार्य दिवस/अकार्य दिवसों पर बैठकों के लिए फूल व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है और इसकी व्यवस्था करनी होगी जिसके लिए निर्देश काफी पहले दे दिए जाएंगे।
- iii). निविदा हस्तांतरणीय नहीं हैं। फर्म इस कार्य को या इसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं सौंपेगी या उप ठेका नहीं देगी।
- iv). कोई भी भुगतान अग्रिम रूप से नहीं किया जाएगा और न हीं सौंपे गए इस कार्य के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश ही की जाएगी।

ठेकेदार प्रत्येक चरण/पिछले महीने के संबंध में अगले महीने के प्रथम सप्ताह में (मासिक भुगतान के मामले में) बिल की राशि स्वीकृत किए जाने और भुगतान के लिए बिल पास करने के लिए बिल प्रस्तुत करेगा। सफल निविदा के लिए करों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। सभी भुगतान केवल चेक द्वारा किए जाएंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को यह अधिकार होगा कि वह अगले पैराओं में उल्लिखित जुर्माने की वसूली के अधीन भुगतान की पूरी राशि या कुछ भाग रोक सकेगा।

- v). यह ठेका शुरू में आर्डर स्वीकार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगा। यदि विभाग संतुष्ट हो तो उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर इस ठेके का एक वर्ष और आगे नवीकरण किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम दो वर्ष तक हो सकता है।
- vi). फर्म उसके द्वारा काम पर लगाए गए सभी व्यक्तियों के नाम और पते उपलब्ध कराएगी और प्रत्येक कर्मचारी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त को प्रमाणित करेगी। मंत्रालय उन्हें उपयुक्त पहचान पत्र जारी करेगा जिन्हें किसी संबंधित अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा। फर्म और उसके कर्मचारी समय–समय पर परिसर की सुरक्षा से संबंधित सामान्य विनियमों के अधीन होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ठेका के तहत दायित्वों के निर्वहन के लिए फर्म द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के वेतन उनके द्वारा ही प्रदान किया जाएगा और मंत्रालय इन व्यक्तियों के संबंध में किसी भी तरीके से जिन्मेवार नहीं होगा। फर्म नियंत्रित श्रम (विनियम) अधिनियम, 1970 या लागू अन्य किसी कानून के अधीन लाईसेंस की सभी सांविधिक आवश्यकताओं के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
- vii). जुर्मानाः— यदि फर्म मंत्रालय के अनुरोध को निर्धारित समय / घंटों तक पूरा करने में असफल रहती है तो उस महीने के बिल की कुल राशि के 2% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। उपर्युक्त लगाए गए जुर्माने के अलावा ठेके को समाप्त भी किया जा सकता है।

- viii). निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघनः— यदि उपर्युक्त किसी निबंधन एवं शर्त का उल्लंघन होता है तो सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश रद्द करने का अधिकार होगा।
- ix). <u>मध्यस्थताः</u>— ठेकाधारियों या ठेके का पक्षकार होने के नाते किसी घटक के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसे विवादों के निपटारे का एक मात्र प्राधिकार सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास होगा।
- x). <u>न्यायाधिकार</u>:– विवादों को हल करने में मध्यस्थ के असफल रहने पर सभी असंतुष्ट पार्टियों अर्थात विभाग, कंपनी या ठेके का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्षकार होने के नाते किसी घटक के लिए दिल्ली स्थित न्यायालय का न्यायाधिकार होगा।

मैसर्स के लिए एवं उसकी ओर से

(के0 डी सिंह) अवर सचिव, भारत सरकार भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से